

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-09/2022 67(7) पटना, दिनांक 10/10/2022

कार्यालय आदेश

पूर्वादेश को विखण्डित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आवंटित किया जाता है:-

(क) नया आवंटन का अनुरोध				
क्र.	Reg. ID	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	आवंटित आवास
1.	GZ4948	श्री अरुनीश चावला, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव	योजना एवं विकास विभाग	25A हार्डिंग रोड, पटना।
2.		श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव	गृह विभाग	6 स्ट्रैण्ड रोड, पटना।
3.	BG2000	श्री सुमन भास्कर कुमार, आप्त सचिव	शिक्षा विभाग	29/84 84 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, न्यू पुनाईचक, पटना।
4.	BG2009	श्री विकास झा, अवर सचिव-सह- उप विधि परामर्शी	विधि विभाग	46/60 60 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ, पटना।
5.	BG2031	डॉ. सुनीता सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	एम0एल0ए0 हॉस्पिटल (स्वास्थ्य विभाग)	M/2 A to Z सेट, न्यू पुनाईचक, पटना।
6.	BG2045	श्री अजीत कुमार, बि.पु.से., पुलिस उपाधीक्षक	(यातायात) गृह विभाग	27A/60 60 सेट ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ, पटना।
7.		श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से., विशेष सचिव-सह-निदेशक	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (शिक्षा विभाग)	B3/12 96 सेट ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ, पटना।
(ख) आवास परिवर्तन हेतु आवेदन				
क्र.	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	पूर्व में आवंटित आवास	आवंटित आवास
8.	श्रीमती हरजोत कौर बम्हारा, भा0प्र0से0 अपर मुख्य सचिव	खान एवं भूतत्व विभाग	A3/13 96 सेट ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ	18A हार्डिंग रोड, पटना।
9.	श्री राहुल कुमार, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, (जीविका), ग्रामीण विकास विभाग	40/60, 60 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ	B3/10 96 सेट ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ, पटना।
10	श्री डोमन राम, विशेष कार्य पदाधिकारी	अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	62/40, 40 सेट आवास, नेहरू पथ	76/84 84 सेट ऑफिसर्स फ्लैट, न्यू पुनाईचक, पटना।

5



2. सरकारी आवास आवंटन (केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।

3. नये आवंटी पदाधिकारी सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवास किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।

5. अगर पटना में आवासी का कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में, सूचित करेंगे। सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(शिव रंजन)

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-09/2022 7304/Pटना, दिनांक:- 10/10/2022

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित आवंटी पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-01 पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पेसू, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी भू-सम्पदा प्रशाखा/निदेशक(तकनीकी), एन.आई.सी. पटना/कनीय अभियंता (ई0-निवास), भवन निर्माण विभाग एवं आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र/केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना, भवन निर्माण विभाग आवंटित आवास का प्रभार आवंटी को प्रावधानित 30 दिनों के भीतर दिला कर आवास अधिग्रहण की सूचना विभाग तथा कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल को, देना सुनिश्चित करेंगे।



उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।